प्रेषिका,

अर्चना सिंह-I
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

विषय - वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में प्रार्थिनी को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रार्थिनी द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति (तत्कालीन) के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन खारिज हो गया एवं श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि पुष्ट हो गई है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थिनी का बिंदुवार प्रत्यावेदन निम्न प्रकार है -

(1) कॉलम संख्या 1(C) - She is tries hard not to lose her temper. However more control is requirement.

- यह कि इस संबंध में सादर निवेदन है कि उक्त प्रतिकूल टिप्पणी पूर्णतः निराधार है। प्रार्थिनी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारी से करती है तथा डायस पर प्रतिदिन समय से बैठकर नियत पत्रावलियों की सुनवाई शांतिपूर्ण एवं खुशनुमा वातावरण करती है।
- यह कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा कभी भी प्रार्थिनी के आचरण व्यवहार, कार्यशैली आदि के संबंध में कोई लिखित या मौखिक आपत्ति या निर्देश / आदेश नहीं दिया गया है और न ही इस संबंध में प्रार्थिनी को किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक शिकायत से अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिकूल टिप्पणी पूर्णतः आधारहीन है।

(2) कॉलम संख्या (4) - I asses her a good officer although she can easily improve to be a very good officer.

- यह कि इस संबंध में सादर निवेदन है कि -
  - प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2022-23 में कुल लक्ष्य यूनिट - 711.28 यूनिट के सापेक्ष 1370.01 यूनिट काम (658.73 यूनिट अधिक, लगभग 192.73 प्रतिशत कार्य) संपन्न किया गया तथा C.L. No. 11/4-h-14/2022 दि. 18/08/22 के अनुपालन में कुल लक्ष्य यूनिट 200.76 यूनिट के सापेक्ष 248.61 यूनिट का काम संपन्न किया गया।
  - प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2022-23 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान के तहत निस्तारित की गई पत्रावलियों / वादों का विवरण अग्रलिखित प्रकार से है -

Archana
02/11/23

Scanned with CamScanner

सिविल वाद (दि० 01/04/22 से दि० 03/02/23 तक)

कुल मूलवाद लक्ष्य — 30 मूलवाद
कुल निर्णीत मूलवाद — 24 मूलवाद

कुल इजराय वाद लक्ष्य — 10 इजराय वाद
कुल निर्णीत इजराय वाद — 08 इजराय वाद

फौजदारी वाद (दि० 01/04/22 से दि० 31/03/23 तक)

कुल फौजदारी वाद लक्ष्य — 35 पत्रावलियाँ/वाद
कुल फौजदारी वाद निर्णीत — 35 फौजदारी वाद

⇒ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2022-23 में (दि० 13/04/2021 से दि० 03/02/23 तक) लगभग 80% आदेश/निर्णय/पत्राचार आदि कार्य स्वंय के हस्तलेख में संपादित किया गया क्योंकि प्रार्थिनी के न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डी०) कक्ष सं० 5 में (दि० 13/04/21 से दि० 03/02/23 तक) आशुलिपिक की नियुक्ति सप्ताह के अंतिम 3 दिन के लिए थी तथा उक्त आशुलिपिक अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं करते थे जिसके बारे में प्रार्थिनी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को समय-समय पर लिखित रूप से सूचित किया था। यहाँ तक कि प्रार्थिनी ने सिविल के सभी निर्णय (प्रतिस्पर्धित) स्वंय के हस्तलेख में पारित किये हैं।

- यह कि प्रार्थिनी को न्यायिक सेवा में 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस जनपद से पूर्व के किसी भी तैनाती जनपद में 8 वर्ष की अवधि के दौरान प्रार्थिनी के आचरण, व्यवहार, कार्यशैली एवं संयम के संबंध में कभी भी किसी अधिवक्ता, या कर्मचारी या कनिष्ठ या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई भी शिकायत या आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं की गई है। उक्त 8 वर्ष की अवधि में (जबसे प्रार्थिनी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की प्रति प्राप्त हुई तबसे) लगभग प्रत्येक वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा Very Good की प्रविष्टि प्रदान की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया तथा किन्हीं भी जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थिनी को उपरोक्त प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रार्थिनी के आचरण, व्यवहार, कार्यशैली व संयम के संबंध में प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थिनी को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः आधारहीन है।

— यह कि प्रार्थिनी का सेवाकाल अभी लंबी अवधि का शेष है तथा श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के बने रहने से प्रार्थिनी के भावी एवं शेष कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः माननीय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थिनी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई प्रतिकूल टिप्पणी एवं प्रविष्टि को निरस्त करने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थिनी आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर।

दि० 02/11/2023

भवदीया
[signature] 02/11/23
(अर्चना सिंह-I)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संलग्नक — माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति (तत्कालीन) को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति। (2)

Scanned with CamScanner